उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः– 19.02.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांकः -19.02.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों की समस्याओं के निस्तारण एवं त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई आयोजित की गयी।
- जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए प्रत्येक फरियादी को निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण समाधान का आश्वासन दिया गया। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए ताकि आमजन का पुलिस पर विश्वास और अधिक मजबूत हो।
- जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उपस्थित महिला फरियादियों से संवाद कर उनको जागरूक करते हुए महिलाओं को उनकी सुरक्षा, अधिकारों एवं शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई तथा उन्हें निडर होकर अपनी बात रखने हेतु प्रेरित किया गया।
- पुलिस अधीक्षक महोबा ने कहा कि जनपद महोबा पुलिस आमजन की सुरक्षा, न्याय एवं सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित है।

मिशन शक्ति 5.0 : नारी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन को लेकर महोबा पुलिस का सशक्त जागरुकता अभियान...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में “मिशन शक्ति अभियान फेज-5” के अन्तर्गत आज दिनांक- 19.02.2026 को जनपद महोबा में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं विश्वास का वातावरण सुदृढ़ करने के उद्देश्य से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया।

“मिशन शक्ति 5.0” अभियान के अन्तर्गत जनपद के समस्त थानों द्वारा प्रमुख बाजारों, कस्बों, चौराहों, धार्मिक स्थलों एवं अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिस कर्मियों की सक्रिय सहभागिता से महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तथा सुरक्षा संबंधी संसाधनों की जानकारी प्रदान की गई।

अभियान के दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई आर्थिक सहायता योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम सम्मान निधि योजना, वन स्टॉप सेंटर, आयुष्मान योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना आदि की जानकारी पंपलेट के माध्यम से दी गई।

महिलाओं को पुलिस विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे वीमेन पावर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, सीएम हेल्पलाइन-1076, स्वास्थ्य सेवा-102, एम्बुलेंस सेवा-108, महिला हेल्पलाइन-181, साइबर क्राइम हेल्पलाइन-1930 आदि के बारे में भी विस्तार से अवगत कराया गया।

महोबा पुलिस द्वारा चलाया गया यह अभियान महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा, आत्मनिर्भरता की सोच और सम्मान का भाव विकसित करने की दिशा में एक सशक्त पहल है।

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:– 19.02.2026

मीडिया सेल, महोबा

विद्यार्थियों ने जाना पुलिस की कार्यप्रणाली का स्वरूप – क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ ने किया संवादात्मक सत्र आयोजित

आज दिनांक 19.02.2026 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड द्वारा थाना अजनर क्षेत्रान्तर्गत स्थित PM Shri Purva Madhyamik Vidyalaya Nagaradang के छात्र-छात्राओं, जो अपने विद्यालय के शिक्षकों के साथ शैक्षणिक भ्रमण पर कार्यालय आए थे, को पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली, अभिलेख प्रबंधन एवं जनसेवा से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

कार्यक्रम के दौरान क्षेत्राधिकारी महोदय ने विद्यार्थियों को थाना/कार्यालय में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण अभिलेखों, शिकायत पंजीकरण की प्रक्रिया, कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की भूमिका, आपातकालीन सेवाओं की कार्यप्रणाली तथा आमजन की सुरक्षा हेतु किए जाने वाले विभिन्न कार्यों से अवगत कराया।

इस अवसर पर छात्र-छात्राओं ने अत्यंत उत्साह एवं जिज्ञासा के साथ अनेक प्रश्न पूछे, जिनका क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा सरल, स्पष्ट एवं सहज भाषा में विस्तारपूर्वक उत्तर दिया गया। बच्चों को कानून के प्रति जागरूक रहने, यातायात नियमों का पालन करने तथा समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने हेतु प्रेरित किया गया।

यह संवादात्मक एवं ज्ञानवर्धक सत्र विद्यार्थियों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक रहा। पुलिस-जन सहभागिता को सुदृढ़ करने की दिशा में यह पहल सराहनीय एवं प्रभावी रही।

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:– 19.02.2026

मीडिया सेल, महोबा

नशे के विरुद्ध महोबा पुलिस की बड़ी कार्यवाही : 02 अभियुक्त गिरफ्तार, 02 किलो 537 ग्राम अवैध गांजा बरामद

जनपद महोबा में अपराध एवं अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में थाना अजनर पुलिस द्वारा दिनांक 18.02.2026 को दो अलग-अलग स्थानों पर कार्यवाही करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से कुल 02 किलो 537 ग्राम अवैध सूखा गांजा बरामद किया गया।

▶ प्रथम कार्यवाही

थानाध्यक्ष अजनर श्री सुभाष चन्द्र द्वारा गठित पुलिस टीम के व0उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह, का0 सौरभ सिंह एवं का0 भरत सिंह द्वारा मुखबिर की सूचना पर अजनर-बेलाताल रोड से अभियुक्त रमेश तिवारी पुत्र स्व० शम्भूदयाल तिवारी, उम्र करीब 59 वर्ष, निवासी ग्राम व थाना अजनर जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 152 ग्राम अवैध सूखा गांजा बरामद हुआ। उक्त बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना अजनर पर मु0अ0सं0 31/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

▶ द्वितीय कार्यवाही

उ0नि0 ऋषी शुक्ला, का0 जयप्रकाश एवं का0 नरेन्द्र कुमार द्वारा मुखबिर की सूचना पर श्यावन मोड़ से अभियुक्त भूपत राजपूत पुत्र स्व० प्रभू दयाल, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी ग्राम श्यावन थाना अजनर जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 385 ग्राम अवैध सूखा गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना अजनर पर मु0अ0सं0 32/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लाई गई है।

▶ कुल बरामदगी

- कुल 02 किलो 537 ग्राम अवैध सूखा गांजा।

जनपद पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध अभियान लगातार जारी है। अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

महोबा पुलिस लाइन में रिक्रूट आरक्षियों हेतु परीक्षा तैयारी गोष्ठी आयोजित, ओएमआर शीट भरने संबंधी दी गई विस्तृत जानकारी

आज दिनांक 19.02.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा पुलिस लाइन महोबा में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों के साथ आगामी समय में आयोजित होने वाली परीक्षा के दृष्टिगत एक महत्वपूर्ण गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी का उद्देश्य प्रशिक्षुओं को परीक्षा प्रक्रिया के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें त्रुटिरहित एवं सावधानीपूर्वक ओएमआर शीट भरने के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना रहा।

अपर पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा प्रशिक्षुओं को बताया गया कि परीक्षा के दौरान छोटी-सी लापरवाही भी परिणाम को प्रभावित कर सकती है, अतः ओएमआर शीट भरते समय विशेष सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने ओएमआर शीट में रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका कोड, विषय कोड आदि को सही ढंग से अंकित करने, निर्धारित गोले को पूर्णत: एवं स्पष्ट रूप से भरने, कटिंग/ओवरराइटिंग से बचने तथा निर्धारित निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन करने पर विशेष बल दिया।

गोष्ठी के दौरान प्रभारी सीसीटीएनएस श्री रहमान रशीद द्वारा भी प्रोजेक्टर/प्रायोगिक माध्यम से ओएमआर शीट भरने की प्रक्रिया का प्रदर्शन कर सामान्य त्रुटियों की जानकारी दी गई तथा उनके समाधान के संबंध में विस्तार से समझाया गया। प्रशिक्षुओं की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें परीक्षा के दौरान आत्मविश्वास बनाए रखने एवं समय प्रबंधन पर भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए।

अंत में अपर पुलिस अधीक्षक महोदया ने सभी प्रशिक्षु आरक्षियों को अनुशासन, परिश्रम एवं समर्पण के साथ तैयारी करने हेतु प्रेरित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

इस अवसर पर कम्प्यूटर ऑपरेटर रहमान रशीद सहित प्रशिक्षकगण एवं समस्त प्रशिक्षु आरक्षी उपस्थित रहे।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः– 19.02.2026

मीडिया सेल, महोबा

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अभियोग में अभियुक्त को 8,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप सीजेएम कोर्ट महोबा द्वारा अभियुक्त के पास से कुल 66 गैस सिलेण्डर व गैस रिफलिंग मशीन बरामद होने के सम्बन्ध में अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित करते हुए आरोपी अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 8000/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत हैः-

थाना पनवाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 745/2008 धारा- 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, से सम्बंधित आरोपी अभियुक्त राजकुमार पुत्र हरिकिशन राजपूत निवासी डाक बंगला रोड कस्बा पनवाड़ी थाना पनवाड़ी जनपद महोबा को न्यायालय उठने तक की सजा व 8000/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

शारदा प्रसाद
अभियोजन अधिकारी

है0कां0 लालता प्रसाद
पैरोकार- थाना कोतवाली नगर

@MahobaPolice